भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2680

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में एबी-पीएमजेएवाई की स्थिति

2680 डॉ. रामराव सखाराम वडकुते:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) फरवरी 2024 से लेकर आज की तिथि तक इस योजना में शामिल मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्लूडब्लू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्लूएच) की संख्या कितनी है;
(ग) निजी अस्पतालों सहित इस योजना के तहत पैनलबद्ध किए गए अस्पतालों की संख्या कितनी है; और
(घ) वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के लिए अधिकृत कुल मामलों की संख्या क्या है और इस पर कितना वित्तीय व्यय किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) भारत की 40% आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के अंतर्गत आने वाले 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट स्तर की देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। मार्च 2024 में, इस योजना का विस्तार करके इसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लगभग 37 लाख परिवारों को शामिल किया गया। अक्टूबर 2024 में, योजना का और अधिक विस्तार करते हुए 4.5 करोड़ परिवारों के

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना इसके दायरे में लाया गया।

31 जुलाई 2026 तक, इस स्कीम के तहत कुल 38,374 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है,जिनमें से 18,019 निजी और 20,355 सरकारी अस्पताल हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान, इस स्कीम के तहत कुल 2.74 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को मंज़ूरी दी गई,जिनकी कुल लागत 48,828.95 करोड़ रुपये है।
